आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

23.03.15

न्यायालयं अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–244/2012–13

रामाधार यादव

बनाम

बॉके बिहारी यादव वगैरह

आदेश

आवेदक रामाधार यादव, वल्द–स्व० कुनकुन यादव, ग्राम–चौमुखा, थाना–योगापट्टी ने अंचल कार्यालय, योगापट्टी के दाखिल खारिज वाद संख्या–139 से 164/06–07 में दिनांक 22.06.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर पुनरीक्षण वाद को सुनवाई हेतु ग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत की गई। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है।

आवेदक का संक्षेप में केस है कि प्रश्नगत जमीन के साथ अन्य जमीन जिसका रकबा 12 बिगहा 12 कट्ठा 13 धूर है, सर्वे खतियान में नन्हक अहिर एवं बउक अहिर वल्द धवल एक हिस्सा एवं विरन वल्द हरख एक हिस्सा करके दर्ज है। नन्हक अहिर अपने एक मात्र पुत्र चोकट अहिर को छोड़कर मर गए। चोकट अहिर भी अपने पुत्र लंगटु यादव एवं रमेश यादव को छोड़कर मर गए। विरन अहिर अपने एक मात्र पुत्र कुनकुन राय को छोड़कर मर गए। कुनकुन राय अपने पुत्र रामधार यादव (आवेदक), जीता यादव एवं भागवत यादव को छोड़कर कर मर गए। भागवत यादव भी मर गए। आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत जमीन मूलतः बेतिया राज की थी और बेतिया

23-3-15

राज ने आवेदक के पूर्वजों को जागीर के रूप में जमीन आवंटित किया था। जमींनदारी उन्नमूलन के बाद अंचल कार्यालय द्वारा दखल कब्जा के आधार पर आवेदक के पिता कुनकुन राय के नाम से वर्ष 1979 में 4 बिगहा 15 कट्ठा 19 धूर जमीन बंदोबस्त कर दिया एवं उनके नाम से जमाबंदी संख्या–954 कायम कर दिया गया।

आवेदक का कहना है कि इस साल जब वे अंचल कार्यालय जाकर लगान रसीद का भुगतान कर रसीद प्राप्त किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि लगान रसीद में 4 बिगहा 15 कट्ठा 19 धूर जमीन के स्थान पर 4 बिगहा 9 कट्ठा 9 धूर जमीन अंकित था। आवेदक का कहना है कि जब उन्होंने ने इसकी जाँच पड़ताल किया तो उन्हें मालूम हुआ कि खाता संख्या–241, खेसरा संख्या–202, रकबा 6 कट्ठा 10 धूर जमीन जमाबंदी संख्या 954 से कम होकर विपक्षी बॉके बिहार यादव वल्द धर्मनाथ यादव के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या–139 से 164/06–07 द्वारा दिनांक 22.06.2006 को दाखिल खारिज स्वीकृत कर जमाबंदी कायम कर दिया गया है। आवेदक का कहना है कि अंचल अधिकारी, योगापट्टी द्वारा बिना स्थानीय जाँच किये एवं बिना मूल जमाबंदीदार को नोटिस निर्गत किये आदेश पारित किया गया है। आवेदक का यह भी कहना है कि आवेदक या उनके पिता ने इस जमीन को किसी को हस्तांतरित नहीं किया है। जब इन्हें दिनांक 10.04.2012 को जानकारी मिली तो आदेश की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त कर यह पुनरीक्षण वाद दायर किये है। आवेदक ने अंचल अधिकारी, योगापट्टी के आदेश दिनांक 22.06.2006 को रद्द कर खाता संख्या–241, खेसरा संख्या–202 जमीन को मूल जमाबंदीदार की जमाबंदी में जोड़ने हेतु अंचल अधिकारी, योगापट्टी को निदेश देने हेतु आग्रह किया है।

विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि आवेदक ने अंचल अधिकारी, योगापट्टी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–139 से 164/06–07 में दिनांक 22.06.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदन दिया है जबकि उन्हें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के समक्ष अपील दायर करना चाहिए था, लेकिन

23.3.17

उन्होंने सीधे इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया है, जो खारिज होने योग्य है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि खाता संख्या–241 का खतियान 12 बिगहा 12 कट्ठा 13 धूर नन्हक, बउक, एवं विरन के नाम से बना तथा ऐराजी खतियान देखने से स्पष्ट है कि बेतिया राज के पहरेदारी करने के एवज में मिला था। बेतिया राज के बहुत से पहरेदार थे, उनलोगों के नाम से जमीन का खतियान बना, उसमें बहुत कमी–बेसी थी। जिसके लिए पहरेदारों के बीच असंतोष था। बेतिया राज के द्वारा इस असंतोष को दूर करने के लिए सभी पहरेदारों को पहरेदारी में मिली खतियानी जमीन को एक साथ मिलाते हुए प्रत्येक को करीब–करीब आठ–आठ बिगहा जमीन पहरेदारी के एवज में दिया गया। उसी के मोताबिक बेतिया राज में कन्टिनियूस खतियान बना। विपक्षी का यह भी कहना है कि मुखलाल अहिर को खाता संख्या–256 का 7 बिगहा 7 कट्ठा 4 धूर एवं खाता संख्या–241 जो नन्हक अहिर वो0 के नाम से था, उसमें से खेसरा संख्या–202 का 13 कट्ठा जमीन मिलाकर 8 बिगहा 4 धूर जागीर पहरेदारी के रूप में मुखलाल अहिर को बेतिया राज ने वर्ष 1920 बन्दोबस्त किया। उसी तरह नन्हक अहिर को खाता संख्या–241 में 12 बिगहा 12 कट्ठा 13 धूर जमीन पहेदारी के जागीर के रूप में मिला और खतियान में दर्ज था। उसमें खाता संख्या–241 में से नन्हक अहिर को नौ खेसरा मिलाकर 7 बिगहा 13 कट्ठा 19 धूर जमीन पहरेदारी में इस खाता में मिला था। इनके आलावे जगरूप के खाता संख्या–234 में से खेसरा संख्या–107 का 5 कट्ठा 5 धूर जमीन मिला। इस तरह नये सिरे से पहरेदारी के एवज में जो बंदोबस्त हुआ, उसमें नन्हक अहिर को 7 बिगहा 19 कट्ठा 4 धूर जमीन मिली। विवादित खेसरा संख्या–202 का 13 कट्ठा जो खाता संख्या–241 का है, बेतिया राज के द्वारा नये सिरे से जागीर बंदोबस्ती के आधार पर नन्हक, बउक एवं विरन को नहीं मिला। बल्कि यह ऐराजी अन्य जमीन के साथ मुखलाल अहिर को बेतिया राज द्वारा सिपाही के कार्य वास्ते अन्य ऐराजी के साथ दिया गया।

23.3.17

विपक्षी का यह भी कहना है कि मुखलाल अहिर के एक भाई महातम अहिर है और इन दोनों भाई का दखल कब्जा, खेसरा संख्या–202 के 13 कट्ठा जमीन पर चला आया। जमाबंदीदारी उन्नमूलन के पश्चात् महात्म एवं मुखलाल का दखल कब्जा कायम रहा। इन दोनों ने आपस में 13 कट्ठा जमीन का बँटवारा कर लिया। इस तरह दोनों का हिस्सा 6½–6½ कट्ठा मिला। खेंसरा संख्या–202 के 6½ कट्ठा जमीन पर महातम का दखल कब्जा रहा और उनके मरने के बाद उनके चिलर और स्वरूप को उपरोक्त 6½ कट्ठा जमीन चन्द्रदेव को दिनांक 14.04.1972 को बिक्री कर दिया। चन्द्रदेव ने उक्त 6½ कट्ठा जमीन बजरिये बैनामा दस्तावेज दिनांक 26.03.2002 को विपक्षी श्री बॉके बिहारी यादव को बिक्री कर दिया। अंचल अधिकारी द्वारा उनके नाम से दाखिल खारिज कर जमाबंदी संख्या–1439 कायम कर दिया गया। विपक्षी ने आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है और कहा है कि आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के समक्ष अपील दायर करना चाहिए।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। उनके द्वारा दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। अंचल कार्यालय, योगापट्टी के कार्यालय के दाखिल खारिज अभिलेख संख्या–139 से 164/06–07 का अवलोकन किया। जिससे ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी ने शिविर न्यायालय में 26 व्यक्तियों के नाम से दिनांक 13.07.2006 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी है, जिसके क्रमांक–8 पर विपक्षी बॉके बिहार यादव का नाम अंकित है। अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है। जिसके क्रमांक–8 पर विपक्षी बॉकेबिहारी यादव को खाता संख्या–241, खेसरा संख्या–202, रकबा–6 कट्ठा, 10 धूर जमीन की दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें जमाबंदी संख्या–954 जमाबंदीदार का नाम–कुनकुन यादव, विक्रेता का नाम–चन्द्रदेव यादव, दस्तावेज संख्या–4046 दिनांक 26.03.2002 अंकित है, इसके अभ्युक्ति स्तम्भ में लिखा गया है कि स्वर्गीय

17.3.15

जमाबंदीदार के पोता ने जमीन बैनामा किया है। अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह दाखिल खारिज अपील का मामला है, जिसें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए और उनके आदेश के पश्चात् विक्षुब्ध पक्ष इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर कर सकते है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में दायर किया गया पनुरीक्षण वाद विधि संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में आवेदक के पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, योगापट्टी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

23-3-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

23-3-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।